

दिनांक 20 फरवरी 2020

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ऋषिकेश, शान्तिनगर रानीपोखरी देहरादून को आर0 टी0 इ0 अधिनियम के मानक पूर्ण करते हुये मुख्या शिक्षा अधिकारी, देहरादून के पत्रांक / अशा0 बे0 / 15 - क / 4520 - 25 / मान्यता / 2019-20 दिनांक 10 जुलाई 2019 के अनुसार दिनांक 01.07.2019 से 31.07.2024 तक 05 वर्षों के लिये प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता दी गयी थी। मान्यता प्रमाण पत्र में जिस आशय से मान्यता दी गयी थी विद्यालय ने वह पूर्ण की है। विद्यालय ने निर्माण कार्य समयबद्ध पूर्ण किया है और विद्यालय सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।


उप शिक्षा अधिकारी (वैसिक)
उप शिक्षा अधिकारी
डोईवाला, देहरादून ।
20/2/20

seema/128